

Case name

K.P. Joseph v. State of Kerala & Ors. (1986)

Case

के. पी. जोसेफ बनाम केरल राज्य और अन्य।

Brief Summary

यह मामला केरल राज्य में भारतीय ईसाइयों के बीच संपत्ति के निर्वसीयत उत्तराधिकार के मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमता है। याचिकाकर्ता, के. पी. जोसेफ ने तर्क दिया कि त्रावणकोर ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में निर्वसीयत उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले नियम महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण थे और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते थे। उन्होंने तर्क दिया कि ये नियम महिलाओं को निर्वसीयत की संपत्ति में समान हिस्से से वंचित करते हैं, और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1951, जिसे केरल राज्य में विस्तारित किया गया था, को इस क्षेत्र में भारतीय ईसाइयों के निर्वसीयत उत्तराधिकार को नियंत्रित करना चाहिए।

Main Arguments

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि त्रावणकोर ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, अचल संपत्ति में आजीवन ब्याज प्रदान करके महिलाओं के साथ भेदभाव करता है जिसे मृत्यु या पुनर्विवाह पर समाप्त किया जा सकता है। - याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1951 ने पूर्व अधिनियम की धारा 29 (2) के माध्यम से त्रावणकोर ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 को अपनाया था।

Legal Precedents or Statutes Cited

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14-त्रावणकोर ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम, 1925-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1951-भाग-बी राज्य (कानून) अधिनियम, 1951-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1951 की धारा 29 (2)-कुरियन ऑगस्टी बनाम देवासी अले (टी. सी.)

Quotations from the court

दुर्भाग्य से, फैसले में अदालत के किसी भी प्रत्यक्ष उद्धरण का उल्लेख नहीं किया गया है।

Present Court's Verdict

अदालत ने प्रत्यर्थियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1951 ने त्रावणकोर ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 को अपनाया था। अदालत ने कहा कि त्रावणकोर ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, भाग-बी राज्य (कानून) अधिनियम, 1951 के लागू होने के साथ निरस्त हो गया। अदालत ने घोषणा की कि भारतीय ईसाइयों की संपत्ति का निर्वसीयत उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग V के अध्याय II में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होता है।